23.12.24 पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप। पत्रावली
पर उपलब्ध दस्तावेज सहमत, उभय पक्षकारान
बयान मे आधार प्रा.पत्र 07R11 स्वीकार
योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वाद वादी
खारिज किया जाता है निर्णय सरे इजलास
सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से
लिखाया जाकर शा.पत्रा किया जाता है।
पत्रावली तकमीली ज.ने कम को जाकर दा.
दफ्तर हो।

निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 152/2021

तारीख दायरा 17.11.2021

उनवान

देवलाल पुत्र धन्नालाल जाति किराड निवासी ग्राम दिल्लीपुरा हाल निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। — वादी/अप्रार्थी

बनाम

1. जमनाबाई पत्नी बिरधीलाल जाति किराड निवासी जोलपा रोड सांगोद।
2. बिरधीलाल पुत्र गणेशलाल जाति किराड निवासी जोलपा रोड सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. अनोखबाई पुत्री बसंतीलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम दिल्लीपुरा।
4. कंचनबाई पत्नी स्व० जानकीलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम दिल्लीपुरा।
5. कमलकान्त पुत्र बसन्तीलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम दिल्लीपुरा।
6. गजानन्द पुत्र सुन्दरलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम दिल्लीपुरा।
7. दिनेश पुत्र बसन्तीलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम दिल्लीपुरा।
8. धन्नी पुत्री जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम दिल्लीपुरा।
9. नरेश पुत्र बसन्तीलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम दिल्लीपुरा।
10. पुष्पाबाई पत्नी बसन्तीलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम दिल्लीपुरा।
11. बद्रीलाल पुत्र जानकीलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम दिल्लीपुरा।
12. बंशी पुत्र रामनारायण जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम दिल्लीपुरा।
13. बालमुकुन्द पुत्र बसन्तीलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम दिल्लीपुरा।
14. महेन्द्र पुत्र बसन्तीलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम दिल्लीपुरा।
15. मीना पुत्री सुन्दरलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम दिल्लीपुरा।
16. रेखा शर्मा पुत्री बसन्तीलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम दिल्लीपुरा।
17. रघुवीर पुत्र सुन्दरलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम दिल्लीपुरा।
18. राजेन्द्र पुत्र जानकीलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम दिल्लीपुरा।
19. रामेश्वर पुत्र जानकीलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम दिल्लीपुरा।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

20. सुमित्राबाई पत्नी स्व० सुन्दरलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम दिल्लीपुरा।

21. सोहनीबाई पुत्री जानकीलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

22. सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

23. उपपंजीयक सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। — प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी</u>

उपस्थित :—

श्री अशोक कुमार जैन (वकील प्रार्थीगण) दिनांक :— 23/12/2024

श्री किशोरी लाल चौधरी (वकील अप्रार्थी)

——निर्णय——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तु कर निवेदन किया गया कि वादी एक मन्दबुद्धी व्यक्ति है जिसके माता पिता दोनो का ही स्वर्गवास हो चुका है और वादी अनाथ हो गया, जो मूल रूप से ग्राम दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा का स्थाई निवासी है। वादी के स्व० माता पिता के खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम डाबरीकलां पटवार हलका दिल्लीपुरा तहसील सांगोद मे खाता स० नई 76 के खसरा न0 889 की 1.64 हेक्टर, खसरा न० 890 की 1.64 हेक्टर कुल 2 किता की कुल 3.28 हेक्टर आराजी सम्वत 2058 से 2077 के अनुसार राजस्व रेकार्ड के अनुसार धन्नालाल वल्द किशनलाल जाति किराड निवासी ग्राम दिल्लीपुरा तहसील सांगोद के खाते दर्ज है। उनकी मृत्यु के बाद नामान्तरण स० 87 से दिनांक 7.4.2006 को मृतक धन्नालाल के स्थान पर वादी देवलाल व उसकी माता सीताबाई का नाम सम्वत 2062 से 2065 मे दर्ज है। वादी देवलाल के सम्बन्ध मे उसके भरण पोषण व आराजी की अवैर सवैर के बाबत दिनांक 6.7.2019 को वादी की माता का स्वर्गवास होने के बाद वादी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी के बाबत वादी के रिश्तेदारों व गांव के समझदार व्यक्तियों द्वारा दिनांक 27.6.2019 को पुलिस थाना सांगोद में एक राजीनामा हुआ। उसके बाद वादी सांगोद आकर प्रतिवादी नं. 1 जो कि वादी की बुआ लगती है तथा प्रतिवादी न0 2 बिरधीलाल

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

देवलाल के फूफाजी है, इन दोनों ने ही वादी को कुछ समय तक अपने साथ रखा और वादी का भरण पोषण भी बन्द कर दिया और वादी की खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम डाबरीकलों के खसरा न० 889, 890 की 3.28 हेक्टर आराजी मे से 1/2 हिस्से को ओमप्रकाश किराड निवासी ग्राम दिल्लीपुरा को मुनाफा काश्त पर दे दिया।

प्रतिवादी न0 1 ता 2 ने मिलकर षडयन्त्र पूर्वक बहला फुसला कर एक मन्दबुद्धि व अनाथ व्यक्ति की सम्पत्ति को छल कपट व धोखाधडी करके बेईमानी पूर्वक दिनांक 5.9.2019 को उपपंजीयक सांगोद के कार्यालय मे जाकर प्रतिवादी न0 1 ने वादी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा न0 889, 890 कुल 2 किता की 3.28 हेक्टर आराजी में निहित सम्पूर्ण हिस्से को जरिये दान पत्र अपने नाम करवा लिया और उक्त कूटरचित फर्जी दस्तावेज के आधार पर इन्तकाल न० 729 दिनांक 5.3.2020 खुलवाकर राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। वादी के लिए आवश्यक हो गया है, कि वह उक्त वाद प्रस्तुत कर दान पत्र दिनांक 5.9.2019 निरस्त करवाकर पुनः आराजी को अपने नाम दर्ज करवा कर खातेदारी घोषणा की डिकी प्राप्त करना आवश्यक हो गया है और साथ ही प्रतिवादी न0 1 ता 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना भी आवश्यक हो गया है कि वह कूटरचित फर्जी दस्तावेज दान पत्र के आधार पर उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होने का लाभ उठाकर उक्त आराजी के किसी भी भाग को अन्यत्र रहन बैय फरोक्त हस्तान्तरण आदि नहीं करे। जिसके लिए माननीय न्यायालय मे उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के हक मे व प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिकी सादिर पारित फरमायी जावे कि:-

माल ग्राम डाबरीकल पटवार हलका दिल्लीपुरा तहसील सांगोद मे खाता स० नई 76 के खसरा न0 889 की 1.64 हेक्टर, खसरा न० 890 की 1.64 हेक्टर कुल 2 किता की कुल 3.28 हेक्टर आराजी में निहित वादी के 1/2 हिस्से की आराजी को षडयन्त्र पूर्वक कूटरचित दस्तावेज दान पत्र दिनांक 5.9.2019 पंजीयन करवाकर खुलवाये गये नामान्तरण न0 729 दिनांक 5.3.2020 को वादी के अधिकारो के विरूद्ध प्रारम्भ से ही शून्य होने से निरस्त किया जाकर वादी को पुनः खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी में निहित 1/2 हिस्से का अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के आधार पर विभाजन किया जाकर वादी के हक मे विभाजन की डिकी पारित फरमायी जावे, तथा राज लगान प्रथक प्रथक अंकन किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी पारित फरमायी जाकर पाबन्द किया जावे, कि प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

न0 1 व 2 विवादित आराजी में निहित वादी के 1/2 हिस्से की आराजी को षडयन्त्र पूर्वक कूटरचित दस्तावेज दान पत्र दिनांक 5.9.2019 पंजीयन करवाकर खुलवाये गये नामान्तरण न0 729 दिनांक 5.3.2020 के आधार पर राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी न0 1 का अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर आराजी को अन्यत्र कही रहन बेय फरोक्त हस्तान्तरण आदि नही करे। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और न ही अपने किन्ही नौकरों व एजेन्टों से ऐसा करावे।

उक्त वाद पत्र के संबंध में प्रार्थीगण प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण में विवादित कृषि भूमि ग्राम डाबरीकलां तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा न0 889 की 1.64 हेक्टर, खसरा न० 890 की 1.61 हेक्टर इस प्रकार कुल किता 2 की 3.28 हेक्टर है, जिसमे से वादी ने राजस्व रेकार्ड में दर्ज उसके 1/2 हिस्से की भूमि को पंजीकृत दानपत्र दिनांक 5.9.2019 के द्वारा प्रतिवादी न0 1 को दान कर मौके पर कब्जा संभला दिया है। उक्त दानशुदा भूमि मौके पर प्रतिवादी न0 1 के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में है। वादी ने जो वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है उसकी प्रथमदृष्टया अवलोकन से यह जाहिर होता है कि वादी उक्त वाद के द्वारा प्रतिवादी न0 1 के पक्ष में करवाये गये पंजीकृत दान पत्र दिनांक 5.9.2019 को निरस्त करवाना चाहता है। वादी द्वारा उक्त पंजीकृत दान पत्र दिनांक 5.9.2019 को निरस्त करवाने की जो प्रार्थना माननीय न्यायालय से चाही गई है वह माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही आती है तथा पंजीकृत दान पत्र दिनांक 5.9.2019 को सक्षम दीवानी न्यायालय में कार्यवाही करके ही निरस्त करवाया जा सकता है। इस प्रकार उक्त वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नही है तथा माननीय न्यायालय में मेन्टेनेबल नही होने से खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी का दावा आदेश 7 नियम 11 जा.दी प्रक्रिया के तहत खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने हेतु अप्रार्थी वादी को कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने पर जवाब अप्रार्थी बंद किया गया। इसके बाद पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र में नियत की गई।

उक्त प्रकरण मे बहस अंतिम सुनी गई, जिसमें वकील उभयपक्षकारान द्वारा वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये कथनो को दौहराया गया। मेरे द्वारा बहस उभयपक्षकारान सुनी गई एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। उक्त समस्त के आधार पर स्पष्ट है कि अप्रार्थी वादी प्रार्थीगण पंजीकृत दान पत्र 201901303001716 दिनांक 5.9.2019 को प्रार्थी सं.1 जमनाबाई के नाम कराए गए दान पत्र

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

को निरस्त करवाकर विवादित आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किए जाने का अनुतोष चाहता है। मैं प्रार्थी द्वारा किए गए कथन कि "किसी भी पंजीकृत दस्तावेज को सक्षम दीवानी न्यायालय में कार्यवाही करके ही निरस्त करवाया जा सकता है, उक्त वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नहीं है।" से पूर्णतः सहमत हूँ। इस कारण अप्रार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणीय नहीं है। अप्रार्थी वादी यदि कोई अनुतोष चाहता है तो सक्षम दिवानी न्यायालय में चाराजोई करने हेतु स्वतंत्र है, इस न्यायालय से वादी को वांछित घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थीगण सं. 1 ता 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद पत्र सव्यय खारिज किया जाता है।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

निर्णय आज दिनांक 23/12/2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner